भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 801

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण को रोकना

801. श्री राहुल कस्वां:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण की वर्तमान स्थिति क्या है, विशेष रूप से जहाँ अवैध ढाँचों के कारण मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) का उल्लंघन हुआ है;

(ख) उच्चतम न्यायालय के मई 2025 के निर्देशों के बाद अतिक्रमणों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए कौन-सी विशिष्ट निगरानी व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं;

(ग) क्या उन परियोजना निदेशकों, कार्यकारी अभियंताओं या पुलिस अधिकारियों सहित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है जहाँ पूर्व चेतावनियों के बावजूद मार्गाधिकार का उल्लंघन जारी रहा और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कितनी प्राथमिकी दर्ज की गई है या कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं और कितने अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने जवाबदेही तय करने और अनुमानित निकासी में देरी या लापरवाही के लिए दंड का विवरण देने हेतु एक समयबद्ध अनुपालन ढाँचा स्थापित किया है; और

(च) यदि हाँ, तो ऐसे प्रवर्तन उपायों को लागू करने की समय-सीमा और स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो ऐसे तंत्रों के अभाव के क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर रिपोर्ट किए गए अनाधिकृत कब्जे और अनाधिकृत कब्जे को हटाने की स्थिति निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे चिन्हित किए गए अनधिकृत कब्जों की संख्या	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हटाए गए अनधिकृत कब्ज़ों की संख्या
28644	16423

(ख) पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) से अनधिकृत कब्जों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए एक गहन अभियान चलाया है। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे जिला प्रशासन और जिला पुलिस को आवश्यक निर्देश जारी करें ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 26 के तहत सरकार के क्षेत्रीय अधिकारियों को सहयोग प्रदान किया जा सके। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर राजमार्ग प्रशासन की स्थापना, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने और उक्त अधिनियम की धारा 26 के तहत जिला मजिस्ट्रेटों को शक्तियां सौंपने के लिए कदम उठाए गए हैं। प्रस्तावित एसओपी के तहत, यदि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य चल रहे हैं तो प्रत्येक तीन माह में और यदि रखरखाव का कार्य चल रहा है तो प्रत्येक छह माह में ड्रोन इमेजिंग और विश्लेषण का प्रावधान किया गया है। सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे अपने निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनाधिकृत कब्जे की सीमा का अनिवार्य रूप से पता लगाएं तथा मामले की सूचना राजमार्ग प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को तुरंत दें।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों का प्रबंधन करने वाले क्षेत्रीय अधिकारियों को अनधिकृत कब्ज़ों और मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के अन्य उल्लंघनों के बारे में जागरूक किया गया है। अब क्षेत्रीय अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनधिकृत कब्ज़ों को हटाने की निगरानी करने और संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाने का अधिकार दिया गया है।

(घ) वर्ष 2023-24 में अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत 20,482 नोटिस जारी किए गए हैं।

(ड.) और (च) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 और तत्संबंधी राजमार्ग प्रशासन नियम, 2004 में अनुपालन तंत्र निर्धारित किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर राजमार्ग प्रशासन के गठन, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने और अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत जिलाधिकारियों को शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने के साथ-साथ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आवधिक समीक्षा के लिए कदम उठाए हैं। ड्रोन इमेजरी और विश्लेषण की सहायता से, प्रस्तावित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार पुनर्गठित व्यवस्था और विशेष रूप से जिलाधिकारियों को स्पष्ट शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने से अधिनियम के प्रावधानों की जवाबदेही और प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित होगा।

*****